संख्या-214/2020/2485/41-2020-29(सा0)/20

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 22 सितम्बर, 2020**

विषय:-कर्नाटक के बैगलुरू में क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय स्थापित किये जाने एवं कार्यालय संचालन हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-5791/2-9(783)/चेन्नई/का0/2018 दिनांक 24.01.2020 एवं पत्र संख्या-57/2-9(803)/बैंगलुरू/का0/2020 दिनांक 06.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कर्नाटक के बैगलुरू में क्षेत्रीय पर्यटक कार्यालय स्थापित किये जाने एवं कार्यालय संचालन हेतु पदों के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन को बढ़ावा देने तथा कर्नाटक के बैगलुरू तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्नाटक के बैगलुरू में उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय स्थापित किये जाने तथा उनके लिये निम्नलिखित सारणी में छः अस्थायी पदों को उनके सामने दर्शाये गये वेतनमान में आदेश निर्गत होने की तिथि, अथवा नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में घटित हो, से दिनांक 28.02.2021 तक के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	उप निदेशक, पर्यटन	01	वेतन बैण्ड रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 6600/-लेवल-11
2	पर्यटन सूचना अधिकारी	01	वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2400/-लेवल-4
3	कनिष्ठ सहायक	01	वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 2000/-लेवल-3
4	चतुर्थ श्रेणी	02	वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1800/-लेवल-1
5	स्वीपर	01	वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1800/-लेवल-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. उपरोक्त पदों के पदधारकों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

4. उपरोक्त प्रस्तर-2 में सृजित पद सम्बन्धित संवर्ग में अस्थाई रूप से सम्मिलित माने जायेगे।

5. उपरोक्त प्रस्तर-2 पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7/923/दस-2020, दिनांक 21 सितम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-214/2020/2485(1)/41-2020-29(सा0)/20 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखा अधिकारी, (लेखापरीक्षक), उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नियुक्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश। शासन।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
6- लेखा अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।